

|                                 |                                |  |
|---------------------------------|--------------------------------|--|
| आदेश का क्रम<br>संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई<br>कारवाई के बारे में<br>टिप्पणी, तारीख के<br>साथ। |
| 1                               | 2                              | 3  |

06  
31.05.2023

न्यायालय, उपायुक्त - सह - जिला दण्डाधिकारी, राँची  
सी० सी० ए० वाद सं० - 36 /2023

राज्य

बनाम


मो० इमरोज, पिता मो० मुजीम निवासी तिलैयाटांयड, थाना-चन्दवा  
जिला लातेहार, वर्तमान निवासी - ग्राम चटवल थाना-चान्हों,  
जिला-राँची (झारखण्ड) .....विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 241/डी०सी०बी० दिनांक 05.03.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी मो० इमरोज, पिता मो० मुजीम निवासी तिलैयाटांयड, थाना-चन्दवा जिला लातेहार, वर्तमान निवासी - ग्राम चटवल थाना-चान्हों, जिला-राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमें आरोप पत्र भी समर्पित है:-

1. चान्हों थाना कांड सं०-177/20 दिनांक 23.09.2020 धारा 414 भा०द०वि०
2. चान्हो थाना सन्हा सं०-06/23, दिनांक 18.02.2023
3. चान्हो थाना सन्हा सं०-15/23, दिनांक 18.02.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि वरीय पुलिस उपाधीक्षक, खलारी राँची के कार्यालय का ज्ञापांक- 227/2023 दिनांक 13.02.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि कुख्यात एवं सकिय अपराधकर्मी मो० इमरोज, पिता मो० मुजीम निवासी तिलैयाटांयड, थाना-चन्दवा जिला लातेहार, वर्तमान निवासी - ग्राम चटवल थाना-चान्हों, जिला-राँची जो वर्तमान में जेल से बाहर है। इनका मुख्य पेशा हथियार का भय दिखाकर लुटपाट एवं चोरी करने का है। इनके भय के कारण आम जन इनके विरुद्ध पुलिस एवं न्यायालय



|                                 |                                |   |
|---------------------------------|--------------------------------|---|
| आदेश का क्रम<br>संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की,<br>कारवाई के बारे<br>टिप्पणी, तारीख<br>साथ। |
| 1                               | 2                              | 3   |

तक नहीं जाना चाहते हैं। इनके विरुद्ध गवाह प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप ये जेल से आसानी से छूट जाते हैं। इनके विरुद्ध कई अपराधिक कांड भी दर्ज हैं इससे इनके असमाजिक तत्व होना प्रमाणित होता है, जिससे लोक व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा - धारा-3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी को निर्गत नाटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त भी ना तो इस न्यायालय में कभी उपस्थित ही हुए, ना ही उन्होंने कारण पृच्छा समर्पित किया है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनका मुख्य पेशा हथियार का भय दिखाकर लुटपाट एवं चोरी करने का है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित्त अपराधकर्मी मो० इमरोज, पिता मो० मुजीम निवासी तिलैयाटांयड, थाना-चन्दवा जिला लातेहार, वर्तमान निवासी - ग्राम चटवल थाना-चान्हों, जिला-राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा-3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी मो० इमरोज, पिता मो० मुजीम निवासी तिलैयाटांयड, थाना-चन्दवा जिला लातेहार, वर्तमान निवासी - ग्राम चटवल थाना-चान्हों, जिला-राँची को दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक की अवधि के लिए चान्हो थाना, राँची में प्रत्येक रविवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा- 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/-का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 09.06.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक प्रत्येक रविवार चान्हो थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good

